

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 माघ 1939 (श0)

(सं0 पटना 50) पटना, मंगलवार, 23 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 23 जनवरी 2018

अधिसूचना संख्या 04/2018 - राज्य कर

एस०ओ० 125, दिनांक 23 जनवरी 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन करते हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-5 में विवरणी देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है:

परंतु, जहां उक्त विवरणी में, राज्य कर की कुल संदेय रकम शून्य है,उक्त अधिनियम की धारा **47** के अधीन नियत तारीख पर उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम उस विस्तार तक अधित्यजित रहेगी, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है के लिए दस रुपये की रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—I)—226)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव।

23 जनवरी 2018

एस०ओ० 125, 23 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—I)—226)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव।

The 23rd January 2018

Notification No. 4/2018-State Tax

S.O. 125, dated 23rd Junary 2018— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-5 by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of central tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 23rd January, 2018.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-226)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 50-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in